

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

सुगनी देवी पत्नि रामपाल खटीक नि. कुच. कला

बनाम

दीपक पिता गणपत ब्राहमण नि. कुच. कला बगैराह,

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं 284/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	लक्ष्य व लक्ष्य अवलोकन जो हुकम को सम्बन्ध में जारी हुई
12.04.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का उँचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 475, 476 कुल किता 02 रकबा 03.17 बीघा स्थित है। विपक्षीयण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी क आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र सलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ सलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी क एकल/संयुक्त स्वामित्व की है, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का उँचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 475, 476 कुल किता 02 रकबा 03.17 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु मू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)